

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वृत्त, इलाहाबाद।

पत्रांक :- 396 /15-2, दिनांक, इलाहाबाद, अगस्त, 02 2018।
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद इलाहाबाद के अर्न्तगत एन0 एच0-2 जी0टी0 रोड (बेगम बाजार से चौफटका) कि0मी0 185.800 से 194.000 के मध्य कुम्भ मेला 2019 के अर्न्तगत चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 194 बांधक वृक्षों के पातन एवं 6.4180 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में आन लाइन प्रस्ताव संख्या-एफ.पी./यू.पी./रोड/34116/2018 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपकी पत्र सं0-207/11-सी-एफ.पी./यू.पी./रोड/34116/2018 दिनांक 24-07-2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विषयगत प्रस्ताव में आप द्वारा उठायी गयी कमियों का बिन्दुवार निराकरण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 405/15-1, दिनांक 31-07-2018 द्वारा प्रस्ताव संशोधित करते हुये इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। संशोधित प्रस्ताव जो निम्न प्रकार तीन प्रतियों में आपकी सेवा में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र. सं.	आपत्ति का विवरण	अनुपालन आख्या
1	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश /आदेश संलग्न है, किन्तु आदेश की पूर्ण प्रति संलग्न नहीं की गयी है। अतः पूर्ण प्रति संलग्न करते हुये आन लाइन अपलोड करें।	परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश /आदेश की पूर्ण प्रति संलग्न कर आन लाइन अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची संलग्न है किन्तु आन लाइन भाग-2 में 31 सेमी से अधिक व्यास के 196 वृक्ष अपलोड किये गये हैं जबकि प्रस्ताव के संलग्न सूची में 31 सेमी से अधिक व्यास के 176 वृक्षों का ही उल्लेख है। अतः इस विषमता को दूर कर आन लाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।	प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की संलग्न सूची के अनुसार 31 सेमी से अधिक व्यास के 176 वृक्षों का ही उल्लेख है। जिसे आन लाइन पार्ट-2 में अपलोड कर दिया गया है।
3	मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड कास सेक्शन (Linear plan), जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो एवं सड़क के किनारे अवशेष जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण अंकित हो, संलग्न नहीं है।	मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड कास सेक्शन (Linear plan), जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो एवं सड़क के किनारे अवशेष जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण अंकित हो, संलग्न कर आन लाइन अपलोड कर दिया गया है।
4	हिन्दी वर्जन भाग-2 में क्रमांक 10 (i) से 10 (V) में सम्बन्धित विवरण अंकित नहीं किया गया है।	हिन्दी वर्जन भाग-2 में क्रमांक 10 (i) से 10 (V) में सम्बन्धित विवरण अंकित कर दिया गया है।
5	आन लाइन भाग-2 में व हिन्दी वर्जन भाग-2	आन लाइन भाग-2 में व हिन्दी वर्जन

में जिले का वन क्षेत्रफल भिन्न अंकित है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान क्षेत्रफल अंकित करें तथा संसोधित आन लाइन पार्ट-2 संलग्न करें।	भाग-2 में जिले का वन क्षेत्रफल एक समान अंकित कर संसोधित आन लाइन पार्ट-2 संलग्न कर दिया गया है।
--	--

संलग्नक :- यथोपरि (03 प्रतियों में)

भवदीय,

(डा० राजीव मिश्रा)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

संख्या :- 396 / समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग डिवीजन-1, लोक निर्माण विभाग, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, इलाहाबाद को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० राजीव मिश्रा)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।